हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 03/2017 अनवान जसोदा बनाम राजुराम वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र मारूडी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 15.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र मारूडी पर पत्रावली पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

15.05.2018

निर्णय

आज पत्रावली अटल सेवा केन्द्र मारूडी पर पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित वादीनी का कथन है कि ग्राम दरूड़ा पटवार मडंल मारूडी में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की खातेदारी भूमि खसरा न. 24 रकबा 188 बीघा 05 बिस्वा आया हुया है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, जिस पर गत बन्दोबस्त से आज तक संयुक्त रूप से काश्त व कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि के बारे में एक राजस्व वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में पारित निर्णय की पालना में नामातंकरण संख्या 539 दिनांक 10.11.2016 के द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया। वाद ग्रस्त भूमि का विभाजन बाहमी तौर पर बंटवारा किया हुआ है। वादीनी ने वाद ग्रस्त भूमि में अपना 131/3765 हिस्सा घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई हेतु समन जारी किये गये। प्रतिवादी पक्ष की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी चौसाला ग्राम दरूड़ा के खाता संख्या 131 के अनुसार वादीनी जसोदा पुत्री राजुराम उर्फ राजाराम नाबालिग का कुदरती वली उसके पिता राजुराम उर्फ राजाराम वल्द गंगु को इस न्यायालय के निर्णय अनुसार घोषित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा पुर्व में वादीनी जसोदा का कुदरती वली राजुराम उर्फ राजाराम को घोषित किया जा चुका है और राजस्व रेकर्ड में भी वादीनी का कुदरती वली राजुराम उर्फ राजाराम अंकित है तो वादीनी जसोदा जो नाबालिग है की और से कुदरती वलिया माता

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लहरी देवी पत्नि राजुराम उर्फ राजाराम कौम सुथार निवासी दरूडा को वाद मित्र बनाये जाने का कोई आधार नही है। इस न्यायालय के निर्णय अनुसार वादीनी जसोदा जो नाबालिग है का कुदरती संरक्षक उसका पिता राजुराम उर्फ राजाराम राजस्व अभिलेख में अंकित है। उक्त इन्द्राज को निरस्त कराये बिना वादीनी जसोदा जो नाबालिग है का वाद मित्र उसकी माता लहरी देवी को बनाये जाने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वादीनी एवं उसकी वाद मित्र माता लहरी देवी इस न्यायालय के पूर्व निर्णय से असंतुष्ट है तो उक्त निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील करने में स्वतंत्र है। प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से चलने योग्य नही है।

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद उपरोक्त विवेचन के आधार पर निरस्त किया जाता है। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। डिक्री पर्चा मुरतिब हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल अभिलेख हो।

सहायक कलक्टर,
(SDO) बाड़मेर